प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 04.01.2026

➤ **अपराध नियंत्रण की दिशा में थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या की घटना कारित करने वाले 02 वांछित अभियुक्त/अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे एवं वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 03.01.2026 को वादी मोहम्मद शकील पुत्र बसीर निवासी वार्ड नं0 6 कटरा अमरौधा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा अपने भाई कलीम की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में दी गयी तहरीर के आधार पर थाना भोगनीपुर पर मु0अ0सं0 09/2026 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के आधार पर प्रकाश में आये 02 वांछित अभियुक्त/अभियुक्ता को (समर समीम उर्फ चाँदबाबू पुत्र समीम कुरैशी उम्र 23 वर्ष निवासी आजाद नगर अमरौधा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात को थाना परिसर भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात से व 01 अभियुक्ता (मृतक की पत्नी को उसके घर से) गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त/अभियुक्ता को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया गया।

पूछताछ- अभियुक्त/अभियुक्ता से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि अभियुक्ता का मृतक कलीम उपरोक्त के साथ निकाह 13 वर्ष पूर्व हुआ था उनके 03 बच्चे हुए थे तीनों बीमारी के कारण खत्म हो गये, जिस कारण कलीम लगातार तनाव में रहते थे और अत्यधिक शराब का सेवन कर आये दिन उसके साथ मारपीट करते थे। कुछ दिन पहले उनके तीसरे बच्चे की जब तबियत खराब थी तब उसके इलाज के दौरान मृतक ने अपने भतीजे अभियुक्त चांदबाबू उपरोक्त से इलाज के लिये रूपये लिये थे इलाज हेतु दिये गये रूपये वह वापस नहीं कर पाया था जिसके लिये चांदबाबू अभियुक्ता के पास फोन करता था, धीरे-धीरे फोन पर ही काफी बातचीत शुरू हो गयी दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। जिसके बारे में मृतक कलीम को संदेह हो गया था, इसीलिये हमने उसे रास्ते से हटाने के लिये प्लान बना लिया था तथा मौके की तलाश कर रहे थे । दिनांक 27.12.2025 को हम तीनों लोग शादी समारोह में गये थे, जहां से वापस आने के बाद कलीम ने फिर दारू पी और अभियुक्ता के ऊपर नाराज हो रहे थे तब अभियुक्ता ने मृतक के फोन से कॉल करके अभियुक्त चांदबाबू को बुलाया और चांदबाबू ने चाकू से गला रेत कर कलीम की हत्या कर दी और सुबह सभी को बताया कि उसने गला काटकर आत्महत्या कर ली है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त/अभियुक्ता का विवरण-

1. समर समीम उर्फ चाँदबाबू पुत्र समीम कुरैशी उम्र 23 वर्ष निवासी आजाद नगर अमरौधा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात ।

2. 01 नफर अभियुक्ता ।

बरामदगी -

1. घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद चाकू

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना भोगनीपुर पुलिस